

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

क्र./प्रशि./एमओ-2015/2017/ 504

भोपाल, दिनांक 01/08/2017


### आदेश

आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, अरेरा कालोनी, भोपाल में समस्त नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के लिये प्रबंधकीय दक्षता संवर्धन, वित्तीय प्रबंधन, कार्यालयीन प्रक्रिया एवं अभिलेख प्रबंधन तथा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं विभागीय गतिविधियों के संबंध में 5 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण दिनांक 09 अगस्त 2017 से 16 सितम्बर 2017 तक की अवधि का होगा। प्रथम तीन सप्ताह का प्रशिक्षण प्रशासन अकादमी, भोपाल में दिनांक 09 अगस्त 2017 से 30 अगस्त 2017 तक एवं इसके बाद दो सप्ताह का प्रशिक्षण दिनांक 4-16 सितम्बर 2017 तक क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर में दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु संलग्न सूची अनुसार चिकित्सा अधिकारियों का नामांकन किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान निम्न निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है:-

1. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रशिक्षण प्रारंभ होने से एक दिन पूर्व आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी/ क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर हॉस्टल में उपस्थित होना सुनिश्चित करे।
2. प्रशिक्षण अवधि के दौरान समस्त प्रशिक्षणार्थियों को हॉस्टल में रहना अनिवार्य है।
3. प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुरूप समय पर उपस्थिति एवं अनुशासन का पालन अपेक्षित है।
4. प्रशिक्षणार्थियों को यात्रा/दैनिक भत्तों का भुगतान शासकीय नियमानुसार उनके पदस्थापना स्थल से किया जावेगा।
5. प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी को उक्त अवधि में कार्य से अनुपस्थित माना जावेगा।
6. प्रशिक्षण के दौरान बिना अनुमति लिये अनुपस्थित रहने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
7. प्रशिक्षण में संचालनालय द्वारा नामांकित अधिकारी को ही भाग लेने की अनुमति होगी, नामांकित अधिकारी यदि किसी कारणवश प्रशिक्षण में भाग लेने में असमर्थ हो तो इस हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता से पूर्व अनुमति ई-मेल आईडी [munshi.rakesh@gmail.com](mailto:munshi.rakesh@gmail.com) पर प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा न करने की स्थिति में प्रशिक्षण पर हुए व्यय की राशि संबंधित अधिकारी से वसूल की जाएगी।

आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की संचालक श्रीमती प्रज्ञा अवस्थी है, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा इससे संबंधित व्यवस्थाओं के संबंध में अन्य किसी भी जानकारी अथवा शिकायत/सुझाव के लिये ई-मेल आईडी [jd.rcvnpn@gmail.com](mailto:jd.rcvnpn@gmail.com) अथवा दूरभाष नं. 0755-2445036 पर इनसे संपर्क किया जा सकता है।

संलग्न -चिकित्सा अधिकारियों की नामांकन सूची।



(रकेश-मुंशी)

संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि:-कृपया सूचनार्थ


1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, अरेरा कालोनी, भोपाल।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
7. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
8. प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर।
9. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला देवास मध्य प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया नामांकित चिकित्सा अधिकारी को प्रशिक्षण प्रारंभ होने से एक दिन पूर्व अपनी उपस्थिति आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में देने हेतु अनिवार्यरूप से कार्यमुक्त करे।
10. संबंधित चिकित्सा अधिकारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।



संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के लिये आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम  
दिनांक 09 अगस्त 2017 से 16 सितम्बर 2017 तक

S.No.	Name of Medical Officer	Place of posting	District	Remark
1	SARIKA TRIPATHI	CHC, Khategaon	Dewas	Exempted from Training
2	TARIQ AHMAD SHAIKH Mob. 9826444678	DH Dewas	Dewas	Replacement in place of Dr Sarika Tripathi

  
(संक्रियता मुंशी)  
संक्रियता संकलक  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं  
मध्यप्रदेश